आनंददायक विद्यालयी शिक्षा हेतु समुचित सुरक्षा प्रबंधन

अरुण सिंह*
दीपा मेहता**

भारतीय शिक्षा प्रणाली का समग्र विकास ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी 2020) का प्रमुख उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पहलू विद्यालयी सुरक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विकास भारतीय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता, समावेशिता तथा समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। विद्यालयी सुरक्षा का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है, जैसे— मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा आदि। इस नीति में यह भी वर्णित किया गया है कि एक सुरक्षित विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही, यह शिक्षकों एवं विद्यालयी प्रबंधन को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। इसमें विद्यालयी सुरक्षा को एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना गया है, जो समग्र शिक्षा के विकास में सहायक है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थियों को एक सुरक्षित तथा सकारात्मक वातावरण प्रदान किया जाए, जिससे वे बिना किसी चिंता के शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह नीति विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विद्यालयों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करती है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सके। यह नीति अभिभावकों को भी एक सुरक्षित तथा संरक्षित विद्यालयी वातावरण के प्रति आश्वस्त करती है। विद्यालयी सुरक्षा के उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली में समग्र गुणवत्तापूर्ण सुधार का प्रयास करती है। यह लेख विद्यालय सुरक्षा तथा अनुकूल शिक्षण-अधिगम वातावरण से जुड़े विविध पहलुओं पर विस्तृत विमर्श प्रस्तुत करता है।

समावेशी एवं समग्र शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में विद्यालय सुरक्षा तथा विद्यार्थी सुरक्षा महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं, जिन पर 20वीं सदी के अंत से ही लगातार बल दिया गया है। सुरक्षित विद्यालय एवं सुरक्षित विद्यार्थी की अवधारणा बाल संरक्षण तथा शैक्षिक सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी शिक्षा को सामान्य और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के एकमात्र व प्रभावी साधन के रूप में चिह्नित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित अनेक शिक्षा

**शोधार्थी*, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश 221005
***आचार्य*, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश 221005

संबंधी आयोगों एवं समितियों में विद्यार्थी सुरक्षा पर विचार किया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 8.11 में वर्णित है कि विद्यालयों में हिंसा, शरारतों के बारे में बढ़ती जागरूकता और सहायक शिक्षण माहौल की आवश्यकता के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। विद्यार्थियों की भलाई और सफलता के लिए सुरक्षा आवश्यक है। जब विद्यार्थी अपने को विद्यालय में शारीरिक और मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं तो वे अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ विषय-वस्तु को नहीं सीख पाते हैं। जेफरे 2018 ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि माता-पिता और विद्यार्थियों का एक बड़ा प्रतिशत विद्यालय में सुरक्षा को लेकर चिंतित है। 35 प्रतिशत माता-पिता विद्यालय में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है जबकि 2017 में यह आँकड़ा 27 प्रतिशत था (गैलप, 2018)। भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित समय-समय पर कई अधिनियम पारित किए गए हैं जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकें, जैसे— लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (2012 एवं 2020), बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम (1986), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (1956), बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (2005), निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006) आदि।

यूनिसेफ (1946) और यूनेस्को (1945) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सुरक्षित शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए शारीरिक सुरक्षा, भावनात्मक कल्याण, हिंसा और भेदभाव से मुक्त शिक्षा के अधिकार पर बल दिया है। विश्व के अनेक देशों में निवारक उपायों और उत्तरदायी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सुरक्षित विद्यालय वातावरण बनाने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। सुरक्षित विद्यालय एवं सुरक्षित विद्यार्थी का संप्रत्यय मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी एवं विद्यालयों में सामुदायिक भागीदारी जैसे मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयासों के साथ भी सरेखित है। सुरक्षित विद्यालयों और सुरक्षित विद्यार्थियों का विचार एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो सीखने के लिए एक आवश्यक और सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देना चाहता है।

विद्यालय सुरक्षा क्या है?

'सुरक्षा' शब्द लैटिन भाषा के 'साल्वस' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है, चोट रहित। सेफओपीडिया (2021) के अनुसार, सुरक्षा एक अवधारणा है, जिसमें व्यक्तियों के जीवन, स्वास्थ्य और शारीरिक अखंडता को संरक्षित करने के लिए अपनाई गई प्रथाएँ सम्मिलित हैं। विद्यालयी सुरक्षा को ऐसे विद्यालयों और विद्यालय-संबंधी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ विद्यार्थी हिंसा, शरारतों और उत्पीड़न तथा मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव से सुरक्षित रहते हैं।

सुरक्षित विद्यालय

हर्नान्डेज़ एवं अन्य (2010) ने कहा है कि सुरक्षित विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जो हिंसा से मुक्त होने के साथ-साथ ऐसे वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ विद्यालय और उसकी अनुशासनात्मक

प्रक्रियाओं का भय नहीं होता है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट (14 नवंबर 2022) 'सुरक्षित विद्यालय— सुरक्षित विद्यालयों के माध्यम से सीखने के भविष्य का समर्थन करना' में लिखा है कि सुरक्षित विद्यालय विश्व बैंक का कार्यक्रम है जो देशों को टिकाऊ सुरक्षित विद्यालय नीतियों और प्रथाओं को डिज़ाइन करने और लागू करने में सहायता करता है। सुरक्षित और समावेशी विद्यालय भविष्य में सीखने के लिए विश्व बैंक के दृष्टिकोण के पाँच स्तंभों में से एक है और सीखने की चीज़ों का पुनर्प्राप्ति के लिए रैपिड फ्रेमवर्क का एक प्रमुख पहलू है।

विद्यालयी सुरक्षा का विद्यालय वातावरण पर प्रभाव

मास्लो (1943) के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार, सुरक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है जो उच्च स्तर में जाने से पहले पूरी की जानी चाहिए (ताओरमिना एवं गाओ, 2013)। यह बात विद्यालयों पर भी लागू होती है। विद्यार्थियों को पहले सुरक्षित महसूस करना चाहिए, ताकि वे अपनी समस्त ऊर्जा सीखने में लगा सकें। विद्यालयों का शैक्षणिक प्रदर्शन तभी अच्छा हो सकता है जब विद्यार्थियों को एक सुरक्षित वातावरण मिले जहाँ उनकी शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित हो।

विद्यालयी सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण पहलू है क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थियों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। विद्यालयी सुरक्षा में भौतिक सुरक्षा उपाय, जैसे— सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, और विद्यालय के प्रवेश द्वारों पर निगरानी सम्मिलित होती है। इसके अलावा विद्यालयी सुरक्षा में मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी सम्मिलित है, जैसे— बुलिंग से निपटना और विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना। विद्यालयों में सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं का होना भी आवश्यक है ताकि आपातकालीन स्थितियों में उचित कार्रवाई की जा सके। शिक्षा को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा देने के लिए सीखने का माहौल सुरक्षित और आरामदायक महसूस होना चाहिए। सुरक्षित विद्यालय वातावरण व्यक्तिगत सुरक्षा, हिंसा और धमकाने के खतरों से मुक्त होता है और संरचित तथा खुशनुमा शिक्षण अधिगम के लिए समुचित वातावरण प्रदान करता है (मेयर एवं फर्लोंग, 2010)। कई शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि असुरक्षित विद्यालय विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति, सहभागिता और प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। कुछ मामलों में असुरक्षित विद्यालयों में विद्यार्थी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे— आत्म-सम्मान में कमी, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता और अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं (बर्रेट एवं अन्य 2012)। विद्यालयी सुरक्षा का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ विद्यार्थी बिना किसी डर के शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकें। प्रत्येक विद्यालय का अपना अनूठा सुरक्षा वातावरण होता है जो उसके द्वारा बनाई गई अपनी रणनीतियों और नियमों से बना होता है। कई शोध अध्ययन यह बताते हैं कि जब विद्यालयी वातावरण सुरक्षित होता है, तो विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में एक सकारात्मक एवं संरक्षित वातावरण का विकास होता है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सुरक्षित विद्यालयी वातावरण में अनुशासन और सामुदायिक भावना को बढ़ावा

मिलता है जिससे सभी के लिए सर्वांगीण विकास हेतु एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने में सहायता मिलती है। सुरक्षित विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल विकसित करने में सहायता करता है।

भारत में लगभग हर साल सैकड़ों विद्यालयी विद्यार्थी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित होते हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा कई कारणों से आवश्यक है क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और व्यापक शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करती है। विद्यार्थियों की सुरक्षा ही निम्नलिखित कारकों को निर्धारित करती हैं—

1. **विद्यार्थियों का समग्र विकास**— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के समग्र विकास की कल्पना करती है। पहले की नीतियों (1968, 1986 एवं 1992) में 3 से 6 वर्ष के बच्चे 10+2 वाले शैक्षिक ढाँचे में सम्मिलित नहीं थे क्योंकि 6 वर्ष के विद्यार्थियों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था। एन.ई.पी. 2020 के 5+3+3+4 ढाँचे में 3 वर्ष के विद्यार्थियों को सम्मिलित कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) की एक मज़बूत बुनियाद रखी गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का समग्र उद्देश्य विद्यार्थियों का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास पर बल देना है, जिसमें विद्यार्थियों का समग्र विकास समाहित किया गया है।
2. **विद्यार्थियों की खुशहाली के लिए**— जो विद्यार्थी खुश रहते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि, कार्य में सफलता, आपसी संबंधों में संतुष्टि, सकारात्मक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता हैं (ल्युबोमिर्स्की एवं अन्य, 2005)। विद्यालय में विद्यार्थियों की खुशहाली को विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। (लॉन्ग एवं अन्य, 2012)। विद्यालय में विद्यार्थियों की खुशियों की सुरक्षा एक आवश्यक पहलू है।
3. **विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति**— वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह आवश्यक हो गया है कि विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, वे उसे तो सीखें ही और साथ ही सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी समस्या-समाधान और तार्किक तथा रचनात्मक रूप से सोचना सीखें। यह तभी संभव है जब विद्यार्थी स्वयं को विद्यालय में सुरक्षित महसूस करेंगे।
4. **समावेशी और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का निर्माण**— यह नीति में वर्णित है कि शिक्षा समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य (एस.डी.जी. 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी तथा समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत शिक्षा के

अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विद्यालय में समावेशी तथा सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है।

विद्यालयों में सुरक्षात्मक उपाय

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (एन.सी.एफ़.एस.ई. 2023) के अनुसार विद्यार्थियों की सुरक्षा करना विद्यालयों की ज़िम्मेदारी है। विद्यार्थियों की शारीरिक सुरक्षा के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार, जो भावनात्मक और शारीरिक नुकसान पहुँचाता है, से सुरक्षा सुनिश्चित करना भी विद्यालय प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य है। विद्यालय परिसर को सुरक्षित बनाने की ज़िम्मेदारी सामूहिक रूप से पूरे विद्यालय समुदाय की होती है। सभी की सुरक्षा और कल्याण विद्यालय प्रबंधन की हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

1. **शारीरिक सुरक्षा**— शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 यह सुनिश्चित करती है कि विद्यालय में किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* में यह कहा गया है कि सड़क सुरक्षा, खेल का मैदान, प्रयोगशाला आदि जगहों पर विद्यार्थियों का ध्यान रखकर शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुशंसित किया गया है कि विद्यालयों में शारीरिक सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना विद्यालय प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है, जिससे विद्यार्थियों को शारीरिक चोटें, शोषण या हिंसा का सामना न करना पड़े तथा वे बिना किसी डर के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयों में शारीरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें शारीरिक हिंसा पर रोक, निगरानी प्रणालियाँ, सुरक्षा प्रशिक्षण एवं आपातकालीन योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022* में विद्यार्थियों की शारीरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जिसमें सुरक्षित तथा समावेशी वातावरण की सुनिश्चितता, आकस्मिक स्थिति के लिए योजना बनाना, बाल सुरक्षा जागरूकता शिक्षा, निगरानी और सुरक्षा प्रणालियाँ, सुरक्षित विद्यालय परिवहन आदि पहलुओं पर चर्चा की गई है।
2. **भावनात्मक सुरक्षा**— यह नीति विद्यालयी वातावरण में प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, अहिंसा, सेवा आदि मूल्यों के अभ्यास पर बल देती है। ताकि विद्यार्थियों के भावनात्मक सुरक्षा पर ज़ोर दिया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के भावनात्मक सुरक्षा के लिए स्वायत्तता एवं परामर्श या उपबोधन (काउंसलिंग) की बात करती है। इसके साथ ही, सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्म-सम्मान का निर्माण, संचार में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समावेशिता, मनोवैज्ञानिक सहायता आदि

गुणों के निर्माण को सर्वोपरि रखती है। *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022* (अनुच्छेद 2.1.1) में सामाजिक-भावनात्मक और नैतिक विकास में उल्लिखित है कि विद्यार्थी अपनी भावनाओं को समझने तथा उनका प्रबंधन करने के साथ-साथ यदि दूसरे की भावनात्मक स्थिति को भी समझते हैं तो विद्यार्थियों में सहानुभूति और करुणा का भाव पैदा होता है।

3. **मानसिक सुरक्षा**— सीखने के लिए निरंतर बौद्धिक क्रियाकलाप से जुड़ाव की आवश्यकता होती है। अत: जब विद्यार्थी अपनी मानसिक क्षमताओं का विकास कर रहा होता है तो उसको सुरक्षित महसूस होना चाहिए जिससे उसकी मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों की शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा के साथ-साथ मानसिक सुरक्षा को भी महत्त्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित करती है तथा निर्देशित करती है कि विद्यार्थियों की मानसिक सुरक्षा के लिए अनुशासनात्मक तरीकों में सुधार, परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, भेदभाव-मुक्त वातावरण, माता-पिता और समुदाय की भागीदारी, भयमुक्त और सहयोगात्मक शिक्षण का वातावरण प्रदान करके उनकी समग्र भलाई सुनिश्चित की जा सकती है। *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* (बिंदु 2.3, 4.3) में वर्णित है कि विद्यार्थी को अपने विचार प्रकट करने के लिए ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए, जहाँ पर वह अपनी बातों को बिना किसी मानसिक तनाव के कह सकें। इसके साथ ही, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रूप से आलोचना न करना, विद्यार्थियों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी न करना, संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना, प्रोत्साहन के लिए उनके साथ काम करना आदि बातों को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों की मानसिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।

4. **बुलिंग से रोकथाम**— किसी दूसरे के प्रति जानबूझकर तथा बार-बार की जाने वाले अवांछनीय व्यवहार को ही बुलिंग की श्रेणी में रखा गया है। सम्मेलन में तैयार संहिता के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि विद्यार्थियों की हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने की उपेक्षा करता है। इसको रोकने के लिए विद्यालय प्रशासन को शून्य सहनशीलता नीति के तहत तत्काल कार्यवाही करना चाहिए।

5. **यौन उत्पीड़न से रोकथाम**— सभी विद्यालयों को पॉक्सो (POCSO प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस, 2012) और पोश ((POSH) प्रिवेंशन ऑफ़ सेक्सुअल हरासमेंट, 2013) के नियमों से जागरूक होना चाहिए। यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर त्वरित तथा कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ दोषियों को उचित दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। जैसा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (1990) के अनुच्छेद 34 में वर्णित है कि विद्यार्थियों की यौन शोषण से सुरक्षा करना सरकार की ज़िम्मेदारी है।

6. **साइबर सुरक्षा**— राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) (2019–2020) की रिपोर्ट में बताया गया है कि 55 प्रतिशत विद्यालयों में कंप्यूटर कक्ष तथा तकनीकी उपकरण हैं और वे 44 प्रतिशत सुरक्षात्मक तरीकों को अपनाते हैं। 42 प्रतिशत विद्यालयों में सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया गया है। 59 प्रतिशत विद्यालय अपने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के नियम और विनियमन की शिक्षा प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के महत्त्व के बारे में और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्हें इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा एवं साइबर धमकी जैसी समस्याओं से बचने के तरीके सिखाने के लिए विशेष कक्षाएँ व कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।

विद्यालय में सुरक्षा को सुनिश्चित करने संबंधी उपाय

विद्यालय में विद्यार्थियों को आनंददायक एवं अनुकूल शिक्षण अधिकारी वातावरण प्रदान करने के लिए विद्यालय को निम्नलिखित उपाय करना चाहिए—

1. **शिक्षक**— *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देते हैं। अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करते हैं। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करना शिक्षकों का उत्तरदायित्व होता है। हमारे विद्यार्थियों और राष्ट्र के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में शिक्षकों की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती हैं।
2. **विद्यालय भवन की संरचना**— एन.सी.पी.सी.आर. की 'सुरक्षित और सुनिश्चित विद्यालयी वातावरण' पर राष्ट्रीय रिपोर्ट (2019–2020) में बताया गया है कि ढाँचागत सुविधाएँ केवल अनुकूल शैक्षिक वातावरण ही नहीं प्रदान करती, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। एन.सी.पी.सी.आर. (2019–2020) की रिपोर्ट के अनुसार 22 प्रतिशत विद्यालय पुराने भवन में संचालित हैं जबकि 31 प्रतिशत विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त हैं। इसके साथ ही, रिपोर्ट में कहा गया कि विद्यालय भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण पहलू बना हुआ है।
3. **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता**— *एन.ई.पी. 2020* के बिंदु 2.9 में वर्णित है कि जब बच्चे कुपोषित और अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए विद्यालय को विद्यार्थियों के पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2014 में 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' (एस.बी.एस.वी.) अभियान शुरू किया था जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के प्रत्येक विद्यालय में शुद्ध पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध हो। विद्यार्थियों के पोषण से संबंधित विद्यालयों में पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना (1995) संचालित थी जो वर्ष 2021 से परिवर्धित नाम 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' योजना

(पीएम पोषण योजना) के नाम से संचालित की जा रही है।

4. **मानव संसाधन का प्रशिक्षण**— *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* यह मानती है कि शिक्षकों को सैद्धांतिक ज्ञान में उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ शिक्षणशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इस हेतु शिक्षक शिक्षा को धीरे-धीरे 2030 तक बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। शिक्षणशास्त्र में विद्यालयी सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा।

विद्यालय में सुरक्षा प्रबंधन के उपाय

विद्यालयों में सुरक्षा प्रबंध संबंधी उपायों का वर्णन निम्नलिखित है—

1. **सुरक्षा प्रशिक्षण**— विद्यालय स्टॉफ़ को सुरक्षा प्रक्रियाओं, जैसे— आग बुझाने, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा उपकरण के उपयोग का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। समय-समय पर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके प्रशिक्षण संबंधी कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को भी समय-समय पर छद्म अभ्यास के अवसर दिए जाने चाहिए।
2. **सीसीटीवी कैमरे**— विद्यालय के सभी प्रमुख स्थानों, जैसे— प्रवेश द्वार, कक्षाएँ और विस्तृत जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। इनका नियमित रूप से रखरखाव होना चहिए ताकि इसकी सहायता से संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाकर निदान किया जा सके।
3. **सुरक्षा रक्षकों की तैनाती**— विद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा रक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जैसे— प्रमुख द्वार, कक्षाएँ और खेल के मैदान। ये गार्ड अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकेंगे जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों से बचा जा सकता है। इनका दायित्व यह भी होगा कि वे पूरे परिसर में इधर-उधर चौकसी भी रखेंगे।
4. **हेल्पलाइन नंबर**— विद्यालय को सहायता संपर्क सूत्र जारी करने चाहिए जिससे विद्यार्थी और कर्मचारी किसी भी परेशानी के समय संपर्क कर सकें। यह नंबर बुलेटिन बोर्डों, सूचना पट्टिकाओं, विद्यालय के मुख्य द्वारों पर एवं विद्यार्थियों की डायरी में लिखे होने चाहिए। समय-समय पर विद्यार्थियों को इन संपर्क-सूत्रों की जानकारी देते रहना चाहिए।
5. **सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जागरूकता कार्यक्रम**— विद्यालय में नियमित रूप से माता-पिता और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे माता-पिता और विद्यार्थियों को सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे और वे स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। इन कार्यक्रमों में माता-पिता या अभिभावकों एवं अन्य हितधारकों से भी सुरक्षा के संबंध में सुझाव माँगने चाहिए।
6. **मनोवैज्ञानिक सहयोग**— विद्यालय में मनोचिकित्सकों या परामर्शदाताओं की नियुक्ति होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर

सहायता प्रदान करें। आमतौर पर यह देखा गया है कि विद्यार्थी परामर्शदाताओं के पास जाने से बचते हैं। अतः प्रातःकालीन सभाओं एवं अन्य प्रकार के मंचों के माध्यम से परामर्शदाताओं की उपस्थिती और सहयोग का महत्त्व बताना आवश्यक होगा।

7. **संजीवनी बिंदु**—विद्यालय परिसर में एक संरक्षित क्षेत्र या केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ विद्यार्थी किसी आपातकाल के दौरान सुरक्षित महसूस कर सकें। यह विद्यार्थियों को सुरक्षा का एक बिंदु प्रदान करेगा, जहाँ वे संकट के समय में जा सकते हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक वातावरण के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में विद्यालय सुरक्षा के महत्त्व पर बल देती है। विद्यालय सुरक्षा की अवधारणा की जड़ें इस मान्यता में निहित हैं कि प्रभावी शिक्षा के लिए एक सुरक्षित और सहायक शिक्षण-अधिगम वातावरण आवश्यक है। एन.ई.पी. 2020 का लक्ष्य शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना है, जिसमें विद्यार्थियों की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना सम्मिलित है। यह नीति विद्यालयों को सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने और एक समावेशी माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुरक्षा पर ज़ोर शिक्षा में वैश्विक रुझानों के अनुरूप भी है, जहाँ विद्यार्थियों की भलाई को प्राथमिकता के रूप में पहचाना जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षित करने और विद्यार्थियों के बीच उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने की वकालत करती है। आवश्यकता इस बात की है कि शैक्षिक ढाँचे में सुरक्षा को एकीकृत कर, शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी विद्यार्थी सुरक्षित और पोषण वाले वातावरण में सीख सकें।

संदर्भ

कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf दिनांक 2 दिसंबर 2024 को देखा गया।

जेफरे, एम. जोन्स, 2018. मोर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन फिअरफुल फॉर सेफ्टी ऐट स्कूल. https://news.gallup.com/poll/241625/parents-children-fearful-safety-school.aspx दिनांक 24 अगस्त 2024 को देखा गया।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2086/2/H2009-35.pdf दिनांक 2 अगस्त 2024 को देखा गया।

नेशनल रिपोर्ट ऑन सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट. 2019–2020. https://ncpcr.gov.in/uploads/165650651562bc4893a2c4f_national-report-on-safe-and-secure-school-environment-2019-20-1964-kb.pdf दिनांक 7 सितंबर 2024 को देखा गया।

बर्रेट, के.एल. एवं अन्य. 2012. द रिलेशन बिटवीन यूथ फ़ियर एंड अवोइडेंस ऑफ़ क्राइम इन स्कूल एंड एकेडेमिक एक्सपीरियंस. *जर्नल ऑफ़ स्कूल वॉयलेंस*. वॉल्यूम 11, अंक 1. पृष्ठ संख्या 1–20.

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली. www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf दिनांक 5 मार्च 2024 को देखा गया।

मेयर, एम जे एवं फर्लोंग, एम.जे. 2010, हाउ सेफ़ आर अवर स्कूल्स?. *एजुकेशनल रिसर्च*. वॉल्यूम. 39(1). पृष्ठ संख्या 16–26.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022*. https://scert.cg.gov.in/pdf/ncf-2022/NCF-FS-Hindi-Ver23Dec22.pdf दिनांक 4 अप्रैल 2024 को देखा गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2023. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. https://ncert.nic.in/pdf/NCFSE-2023-August_2023.pdf दिनांक 29 अप्रैल 2024 को देखा गया।

ताओरमिना, रॉबर्ट. जे., जे.आर. एवं जे.एच. गाओ. 2013. मास्लो एंड द मोटिवेशन हायरार्की : मेजरिंग सटीस्फैक्सन ऑफ़ द नीड्स. *अमेरिकन जर्नल ऑफ़ साइकोलॉजी समर*. वॉल्यूम 126. पृष्ठ संख्या155–177

ल्यूबोमिस्र्की, एस. एवं अन्य. 2005. द बेनिफिट्स ऑफ़ फ्रीक्वेंट पॉज़िटिव एफ़ेक्ट— डज़ हैप्पीनेस लीड्स टू सक्सेस?. *साइकोलॉजिकल बुलेटिन*. वॉल्यूम 131(6). पृष्ठ संख्या 803–855.

लॉन्ग.आर.एफ़. एवं अन्य. 2012. मेज़रिंग स्कूल रिलेटेड सब्जेक्टिव वेलबीइंग इन एंडोलसेंस. *अमेरिकन जर्नल ऑफ़ अर्थोसाईकेट्री*. वॉल्यूम 82(1). पृष्ठ संख्या 50–60. http://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2011.01130.x दिनांक 10 अगस्त 2024 को देखा गया।

सेफ़ स्कूल्स : सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ़ लर्निंग थ्रो सेफ़ स्कूल्स की रिपोर्ट. https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/safe-schools-supporting-the-future-of-learning-through-safe-schools दिनांक 20 जून 2024 को देखा गया।

सेफ़ओपीडिया. 2018. सेफ़्टी, सेफ़ओपीडिया. https://www.safeopedia.com/definition/1104/safety-occupational-health-and-safety दिनांक 12 अक्तूबर 2024 को देखा गया।

हर्नान्डेज़, डी. एवं अन्य. 2010. हाउ सेफ़ इज़ ए स्कूल? ऐन एक्सप्लोरेटरी स्टडी कम्पेयरिंग मीज़र्स एंड परसेप्सन ऑफ़ सेफ्टी. *जर्नल ऑफ़ स्कूल्स वॉयलेंस*. अंक 9. पृष्ठ संख्या 357–374